No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001.
Dated: 18.03.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of February, 2020 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF FEBRUARY, 2020

1. Notifications:-

(i) Vide notification dated 3rd February, 2020 the provisions of sub-sections (11) and (12) of section 230 of the Companies Act, 2013 (CA-13) which relates to takeover of unlisted companies were brought into force. [S.O.525(E)]

(ii) Vide notification dated 3rd February, 2020 the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2020 were notified prescribing requirements and procedure for making a takeover offer of unlisted companies under sub-section (11) of section 230 of the CA-13. [G.S.R.79(E)].

(iii) Vide notification dated 3rd February, 2020 the National Company Law Tribunal (Amendment) Rules, 2020, the procedure for filing application to NCLT in case of any grievance with respect to takeover offer of an unlisted company was prescribed in pursuance of sub-section (12) of section 230. [G.S.R.80(E)].

(iv) Vide Notification dated 03rd February, 2020 amendment to the Nidhi Rules, 2014 was made substituting existing Form NDH-1, NDH-2 & NDH-3 with relevant e-forms. [G.S.R.81(E)].

(v) The Nidhi (Second Amendment) Rules, 2020 were notified on 14th February, 2020 wherein the period prescribed under Rule 23A of the Nidhi Rules, 2014 for requiring certain Nidhis to get themselves declared as such by Central Government was increased from "six months" to "nine months". [G.S.R.114(E)].

(vi) In view of the recommendations of the IFSC Task Force set up by the Government under the chairmanship of Hon'ble MOS (Finance & Corporate Affairs), the Companies

(Issue of Global Depository Receipts) Rules, 2014 were amended on 13th February, 2020 to modify definition of 'overseas depository' in context of recognizing IFSC as an additional jurisdiction for issue of Global Depository Receipts [GDRs] and to allow companies to remit proceeds of GDR issues in the IFSC Banking Units (IBUs). [G.S.R.111(E)].

(vii) Companies (Appointment & Qualification of Directors) Rules, 2014 were amended to allow additional period of two months to existing independent directors to get their names included on the IDs databank and also to provide that experience in the bodies corporate listed on recognize stock exchanges shall also be counted for the purpose of exemption from passing the online proficiency self-assessment test. [G.S.R.145(E)].

(viii) Vide Notification dated 18th February, 2020 amendment to the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 was made substituting existing Form GNL-2 with relevant e-forms. [G.S.R.127(E)].

(ix) Vide Order dated 25.02.2020, the Ministry, after consultation with the National Financial Reporting Authority (NFRA) has notified the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 to improve the quality of reporting by the auditors on the financial statements of the companies and inserted some new clauses and modified the existing clauses to seek detailed comments from the auditors. [S.O.849(E)].

(x) Vide notification dated 18th February, 2020 the Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2020 were notified and effective from the 23rd February, 2020. Through the said notification the Rule 9, Rule 10, 12, 38, 38A and annexure to the said rule have been amended to brought in new eforms namely SPICe+ (Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically Plus) AGILE-PRO (Application for Goods and services tax Identification number, employees state Insurance corporation registration pLus Employees provident fund organization registration, Profession tax Registration and Opening of bank account) and RUN (For change of name only) in

place of forms "e-form No. INC-32 (SPICe), e-form NO.INC-35 (AGILE) and RUN respectively. [G.S.R.128(E)].

2. CIRCULARS:-

Through the General Circular No. 4/2020 dated 17.02.2020, the Ministry has clarified the procedures for filing of forms in the Registry (MCA-21) by the Insolvency Professional (Interim Resolution Professional (IRP) or Resolution Professional (RP) or Liquidator) appointed under Insolvency Bankruptcy Code, 2016 (IBC, 2016) keeping in view the requirements for statutory compliances by such companies under the Companies Act, 2013.

3. The Ministry is taking necessary action for amending the Companies Act, 2013 [CA-13] to implement the recommendations made by Company Law Committee (2019) to remove criminalization in 46 penal provision of the CA-13 as well as to facilitate ease of living to law abiding corporates. The Cabinet Note in this regard was sent to the Cabinet Secretariat on 10.12.2019. Subsequently pursuant to review of certain proposals, a Supplementary Cabinet Note has been sent to the Cabinet Secretariat on 15.01.2020. A second supplementary note has been sent on 27.02.2020. Cabinet is yet to approve the proposal.

4. The Commission has received six (06) new cases u/s 19 of the Competition Act, 2002 for alleged violation of S.3 & 4 during the month of January 2020. During the month, eleven (11) case were closed. With this, the total number of cases filed up to January 2020 stands at 1062 and out of which 905 cases have been decided.

5. The Commission received nine (09) notices u/s 6 (2) of the Act pertaining to combinations during February 2020. With this, total 742 notices [729 u/s 6 (2) and 13 u/s 6 (5) of the Act] have been filed till February 2020. Out of these, 733 cases have

been disposed of within stipulated time and 9 cases u/s 6(2) are under consideration of the Commission.

6. The total number of combination cases received by the Commission under the Green channel route rose to nine (09) by February-end and constitute 25% of the total cases received since 01st October 2019. More than INR 11000 crore of Foreign Investment is expected to come pursuant to these combination cases.

7. Mutual Recognition Agreement (MRA) between the Institute of Chartered Accountants of India(ICAI) and the institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) was approved by the Cabinet on 19.02.2020.

8. IEPF Authority has signed an MOU (Memorandum of Undertaking) with Kotak Mahindra Bank Limited (KMBL) on 26.02.2020 for spreading Investor Awareness and education through the Banks existing digital marketing channels. The MoU envisages placement of Digital banners of IEPFA in Bank's ATM/Kiosks/DSS/Access Points, KBML's websites/mobile apps/ digital platforms and Social Media Accounts and showcasting of IEPFA short films/videos on Bank's Digital platforms for customer awareness and fraud prevention.

9. (i) As part of Government of India's Ease of Doing Business (EODB) initiatives, the Ministry of corporate Affairs has notified and deployed a new Web Form christened 'SPICe+' (pronounced 'SPICe Plus') replacing the existing SPICe form on 23.02.2020.

(ii) SPICe would offer 1 0 services by 3 Central Government Ministries & departments. (Ministry of corporate Affairs, Ministry of Labour & Department of Revenue in the Ministry of Finance) and One state Government (Maharashtra), thereby saving as many procedures, time and cost for Starting a Business in India and would be applicable for all new company incorporations w.e.f. 23rd February, 2020.

(iii) SPICe+ would be an integrated Web Form. SPICe+ would have two parts viz. Part A- for Name reservation for new companies and Part B offering a bouquet of services Viz.

Incorporation (ii) DIN allotment (iii) Mandatory issue of PAN (iv) Mandatory issue of TAN (v) Mandatory issue of EPFO registration (vi) Mandatory issue of ESIC registration (vii) Mandaatory issue of Profession Tax registration (Maharshtra) (viii) Mandatory Opening of Bank Account for the Company and (ix) Allotment of GSTIN (if so applied for)

10. The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), School of Corporate Governance & Public Policy has organized a two day workshop on "Governance of Corporate Social Responsibility Initiatives" in Goa on 3-4 February 2020, which was attended by Independent Directors & CSR Professionals from 28 Companies (PSUs & Private Companies).

11. IICA, Centre for MSME has organized a customised Capacity Building Programme on "Procurement (Bidding Procedures based on GFR, GeM & E-Procurement) and Contract Management: Challenges in Implementation" on 3-6 February, 2020 at Srinagar exclusively for the officers of J&K Bank. Also, IICA has organized a three-day training programme for the Officers of MCA and its attached offices on 12-14 February, 2020 at IIM, Kolkata and on 24-26 February, 2020 at Pune.

12. IICA, Centre for MSME has conducted 11th edition of National Capacity Building Programme on "Procurement (Bidding Procedures based on General Financial Rules (GFR), GeM & E-Procurement) and Contract Management: Challenges in Implementation" on 18 - 21 February, 2020 at Kolkata.

13. Memorandum of Understanding signed between IICA and National Institute of Communication Finance (NICF) on 28.02.2020 to provide each other advocacy, research

support, technical and handholding assistance and capacity building services in the various areas of competition law, corporate law, corporate governance, Insolvency and Bankruptcy law, leadership, organizational effectiveness, procurement procedures, Finance for non Finance Officers, Telecommunication Policies, Spectrum Auction etc. on need based and mutually agreed terms.

14. Centre of Insolvency & Banktuptcy, IICA successfully organized Expert Talk with Mr. K V Subramanian, Chief Economic Advisor to the Govt. of India during the month of February 2020 at IICA, Manesar. The programme was attended by 43 participants comprising of DG & CEO, IICA and Centre Head(CIB) and academicians. The objective of the programme was to provide in-depth understanding of the Economic survey. The importance of early identification of distress in companies, errors in decision making influenced by the outliners etc., were highlighted.

15. Regional Awareness Workshops on National Corporate Social Responsibility (CSR) Awards 2020 and National Action Plan on Business & Human Rights was organized in Guwahati, Mumbai, Kolkata and Ahmedabad.

16. The School of Competition Law and Market Regulation, Indian Institute of Corporate Affairs has organized "Training Program on Competition Law for IOCL Executives" between 10th - 12th February, 2020. The theme of the seminar was Competition Law. A total of eighteen participants which included executives of IOCL attended the program.

17. The Forum of Indian Regulators Centre at Indian Institute of Corporate Affairs has organized the "Colloquium for the Chairpersons of Forum of Indian Regulators (FOIR)" on 21st February 2020 at Udaipur. The theme for the panel discussion was 'Ensuring Transparency & Accountability in Regulatory Framework' The panel comprised of Chairpersons from different regulatory bodies of IBBI, AERA & CERC.

सं. सीडीएन-27011/2/2020-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः मार्च, 2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के फरवरी, 2020 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23381349

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
3. अपर सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय
4. निदेशक (एनआईसी) - पत्र को एमसीए की शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

<u>कारपोरेट कार्य मंत्रालय</u>

फरवरी, 2020 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं :-

(i) दिनांक 3 फरवरी, 2020 की अधिसूचना द्वारा असूचीबद्ध कंपनियों को नियंत्रण में लेने से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) की धारा 230 की उपधारा (11) और (12) के उपबंधों को प्रवृत्त किया गया। [का.आ.525(अ)]

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) की धारा 230 की उपधारा (11) के अधीन असूचीबद्ध कंपनी को नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव करने के लिए अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं निर्धारित करने हेतु दिनांक 3 फरवरी, 2020 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2020 अधिसूचित किए गए। [सा.का.नि. 79(अ)]

(iii) दिनांक 3 फरवरी, 2020 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2020, धारा 230 की उपधारा (12) के अनुसरण में असूचीबद्ध कंपनी को नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव के संबंध में कतिपय शिकायत के मामले में एनसीएलटी को आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। [सा.का.नि 80(अ)]

(iv) दिनांक 3 फरवरी, 2020 की अधिसूचना द्वारा विद्यमान एनडीएच-1, एनडीएच-2 और एनडीएच-3 के स्थान पर संगत ई-प्ररूप रखने के लिए निधि नियम, 2014 में संशोधन किया गया। [सा.का.नि 81(अ)]

(v) निधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2020, तारीख 14 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किए गए जिसमें निधि नियम, 2014 के नियम 23क के अधीन, कतिपय निधियों को केंद्र सरकार से स्वयं को ऐसी निधि घोषित कराने की निर्धारित अवधि को "छह माह" से बढ़ाकर "नौ माह" कर दिया गया। [सा.का.नि. 114(अ)]

(vi) माननीय राज्यमंत्री (वित्त एवं कारपोरेट कार्य) की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित आईएफएससी कार्यबल की सिफारिशों के आलोक में, कंपनी (वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम) नियम, 2014 को वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों (जीडीआर) के निर्गम के लिए अतिरिक्त न्यायाधिकार के रूप में आईएफएससी को मान्यता देने के संदर्भ में 'समुद्रपारीय निक्षेपागार' की परिभाषा में परिवर्तन करने

और आईएफएससी बैंककारी यूनिटों (आईबीयू) में जीडीआर के लाभ को माफ करने के लिए कंपनियों को अनुमति देने के लिए 13 फरवरी, 2020 को संशोधित किया गया। [सा.का.नि 111(अ)]

(vii) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में संशोधन किए गए कि विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों के लिए आईडी डाटाबैंक में अपने नाम को शामिल करवाने के लिए दो माह की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जाए और यह प्रावधान किया जाए कि उन्हें ऑनलाइन कुशलता स्व-मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध निकाय कारपोरेट में उनके अनुभव की गणना की जाए। [सा.का.नि. 145(अ)] ।

(viii) 18 फरवरी, 2020 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विद्यमान ई-प्ररूप जीएनएल-2 के स्थान पर संगत ई-प्ररूप रखने के लिए संशोधन किया गया। [सा.का.नि. 127(अ)]

(ix) मंत्रालय ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के परामर्श के पश्चात्, कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर संपरीक्षकों की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए दिनाक 25.02.2020 के आदेश द्वारा कंपनी (संपरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 को अधिसूचित किया है और संपरीक्षकों से विस्तृत टिप्पणियां मांगने के लिए मौजूदा खंडों में संशोधन किया है। [का.आ. 849(अ)]

(x) दिनांक 18 फरवरी, 2020 की अधिसूचना दवारा कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2020 अधिसूचित किए गए और 23 फरवरी, 2020 से लागू किए गए। उक्त अधिसूचना के माध्यम से नियम 9, नियम 10, नियम 12, नियम 38, नियम 38क और उक्त नियम के अनुलग्नक में क्रमशः "प्ररूप संख्या आईएनसी-32 (स्पाइस), ई-प्ररूप सं. आईएनसी-35 (एजीआईएलई) और आरयूएन" के स्थान पर स्पाइस+ (कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमन करने हेतु सरलीकृत प्ररूप प्लस) एजीआईएलई-प्रो (वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रजिस्ट्रीकरण और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, व्यवसाय कर रजिस्ट्रीकरण और बैंक खाता खोलना) तथा आरयूएन (केवल नाम बदलने के लिए) नामक नए ई-प्ररूप लाने के लिए संशोधन किया गया है। [सा.का.नि. 128(अ)]

2. परिपत्र :-

सामान्य परिपत्र सं. 4/2020 तारीख 17.02.2020 के माध्यम से मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन ऐसी कंपनियों द्वारा सांविधिक अनुपालन की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, दिवाला शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) 2016 के अधीन नियुक्त दिवाला वृत्तिक (अंतरित समाधान वृत्तिक

(आईआरपी) अथवा समाधान वृत्तिक (आरपी) अथवा परिसमापक) द्वारा रजिस्ट्री (एमसीए-21) में प्ररूप फाइल करने के लिए प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है।

3. मंत्रालय, कंपनी अधिनियम, 2013 के 46 शास्तिक उपबंधों में आपराधिकता को हटाने तथा कानून का पालन करने वाले कारपोरेटों के लिए ईज़-ऑफ-लिविंग को सुकर बनाने के लिए कंपनी विधि समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए-13) में संशोधन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। इस बारे में मंत्रिमंडल नोट 10.12.2019 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया था। तदुपरांत कतिपय प्रस्तावों की समीक्षा के पश्चात् अनुपूरक मंत्रिमंडल नोट 15.01.2020 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया है। दूसरा अनुपूरक नोट 27.02.2020 को भेजा गया है। मंत्रिमंडल ने अभी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करना है।

4. आयोग को जनवरी, 2020 के दौरान धारा 3 और धारा 4 के कथित उल्लंघन के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 19 के अधीन छह (06) नए मामले प्राप्त हुए हैं। माह के दौरान, ग्यारह (11) मामले बंद किए गए। इसके साथ, जनवरी, 2020 में फाइल किए गए मामलों की कुल संख्या 1062 हो गई है और इनमे से 905 मामलों में निर्णय दिया जा चुका है।

5. आयोग को फरवरी, 2020 के दौरान अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन नौ (09) नोटिस प्राप्त हुए। इसके साथ, फरवरी, 2020 तक कुल 742 नोटिस (अधिनियम की धारा 6(2) के अधीन 729 और 6(5) के अधीन 13) फाइल किए गए हैं। इनमें से निर्धारित अवधि के भीतर 733 मामले निपटाए गए हैं और धारा 6(2) के अधीन नौ मामले आयोग के विचाराधीन हैं।

6. ग्रीन चैनल रूट के अंतर्गत आयोग को फरवरी माह के अंत तक कुल नौ (09) समुच्चय मामले प्राप्त हुए जो 01 अक्तूबर, 2019 से प्राप्त कुल मामलों का 25% है। इन समुच्चय मामलों के अनुसरण में 11000 करोड़ रुपये से अधिक का विदेशी निवेश आने की संभावना है।

7. मंत्रिमंडल ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और नेपाल सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएएन) के बीच परस्पर मान्यता करार (एमआरए) को 19.02.2020 को अनुमोदित कर दिया।

8. आईईपीएफ प्राधिकरण ने बैंकों के मौजूदा डिजिटल मार्केटिंग चैनलों के माध्यम से विनिधानकर्ता जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करने के लिए दिनांक 26.02.2020 को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) संपन्न किया है। इस एमओयू में आईईपीएफए के डिजिटल बेनरों का बैंक के एटीएम/ कियोस्क/ डीएसएस/ एक्सेस प्वाइंटों की स्थापना, केबीएमएल की वेबसाइटों/मोबाइल एप्स/डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मिडिया अकाउंट तथा आईईपीएफए लघु फिल्मों/विडियो के माध्यम से ग्राहक जागरूकता और धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शित करने की अभिकल्पना की गई है।

9. (i) भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पहलों के भाग के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 23.02.2020 को मौजूदा स्पाइस प्ररूप के स्थान पर 'स्पाइस+' ('स्पाइस प्लस' बोला जाएगा) नामक एक नया वेब प्ररूप अधिसूचित और लागू किया है।

(ii) स्पाइस 3 केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभाग द्वारा 1 0 सेवाएं प्रदान करेगा (कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग) तथा एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र), जिसके फलस्वरूप भारत में कोई व्यवसाय आरंभ करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं, समय और लागत की बचत होगी तथा दिनांक 23 फरवरी, 2020 से सभी नए कंपनी निगमनों के लिए लागू हो जाएगा।

(iii) स्पाइस+ एक समेकित वेब प्ररूप होगा। स्पाइस+ के दो भाग होंगे अर्थात् भाग क- नई कंपनियों के लिए नाम आरक्षण हेतु और भाग ख- अनेक सेवाएं प्रदान करने अर्थात्,

(i) निगमन (ii) डीआईएन का आवंटन (iii) पैन को अनिवार्य रूप से जारी करना (iv) टैन को अनिवार्य रूप से जारी करना (v) ईपीएफओ रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य रूप से जारी करना (vi) ईएसआईसी रजिस्ट्रीकरण को अनिवार्य रूप से जारी करना (vii) व्यवसाय कर रजिस्ट्रीकरण (महाराष्ट्र) को अनिवार्य रूप से जारी करना (viii) कंपनी के लिए बैंक खाते का अनिवार्य रूप से खोलना और (ix) जीएसटीआईएन का आवंटन (यदि इसके लिए आवेदन किया है)

10. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), स्कूल ऑफ कारपोरेट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी ने 3-4 फरवरी, 2020 को गोवा में "गवर्नेंस ऑफ कारपोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी इनीशिएटिवस" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है जिसमें स्वतंत्र निदेशकों और 28 कंपनियों (पीएसयू और निजी कंपनियां) के सीएसआर वृत्तिकों ने भाग लिया था।

11. एमएसएमई के आईआईसीए सेंटर ने अनन्य रूप से जम्मू और कश्मीर बैंक के अधिकारियों के लिए श्रीनगर में 3-6 फरवरी, 2020 को "प्रापण (जीएफआर, जीईएम और ई-प्रापण पर आधारित निविदा प्रक्रियाएँ) और संविदा प्रबंधन: कार्यान्वयन में चुनौतियां" विषय पर विशिष्ट रूप से तैयार क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके अतिरिक्त, आईआईसीए ने एमसीए के अधिकारियों और इसके सम्बद्ध कार्यालयों के लिए 12-14 फरवरी, 2020 को आईआईएम, कोलकाता और 24-26 फरवरी, 2020 को पुणे में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

12. एमएसएमई के आईआईसीए सेंटर ने 18-21 फरवरी, 2020 कोलकाता में "प्रापण (जीएफआर, जीईएम और ई-प्रापण पर आधारित निविदा प्रक्रियाएँ) और संविदा प्रबंधन: कार्यान्वयन में चुनौतियां" विषय पर राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का 11वां संस्करण संचालित किया है।

13. आईआईसीए और राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) के बीच दिनांक 28.02.2020 को आवश्यकता आधारित और परस्पर रूप से सहमत शर्तों के आधार पर एक-दूसरे के लिए समर्थन,

अनुसंधान सहायता, तकनीकी औरं हैंड होल्डिंग सहायता और प्रतिस्पर्धा विधि, कारपोरेट विधि, कारपोरेट गवर्नेंस, दिवाला और शोधन अक्षमता विधि, नेतृत्व, संगठनात्मक प्रभावकारिता, प्रापण प्रक्रिया, गैर-वित्तीय अधिकारियों के लिए वित्त, दूर संचार नीतियां, स्पैक्ट्रम नीलामी इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

14. दिवाला और शोधन अक्षमता केंद्र, आईआईसीए ने फरवरी 2020 के दौरान आईआईसीए, मानेसर में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, श्री के.वी. सुब्रमणयन के साथ सफलतापूर्वक विशेषज्ञ वार्ता आयोजित की। इस कार्यक्रम में डीजी एंड सीईओ, आईआईसीए और केंद्र प्रमुख (सीआईबी), और शिक्षा जगत के 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उदेश्य आर्थिक सर्वेक्षण की गहन समझ प्रदान करना था। कंपनियों में संकट की प्रारंभिक पहचान, प्रारूपों इत्यादि द्वारा प्रभावित निर्णय करने में त्रुटियों की महत्ता को रेखांकित किया गया।

15. राष्ट्रीय कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पुरुस्कार, 2020 तथा व्यवसाय और मानव अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में गुवाहाटी, मुबंई, कोलकाता और अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

16. प्रतिस्पर्धा विधि स्कूल और बाजार नियमन, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने 10-12 फरवरी, 2020 के दौरान "आईओसीएल कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रतिस्पर्धा विधि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम" आयोजित किया है। इस संगोष्ठी का विषय प्रतिस्पर्धा विधि था। कुल 12 प्रतिभागियोंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिनमें आईओसीएलए के कार्यकारी अधिकारी भी शामिल थे।

17. भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान में भारतीय नियामक मंच केंद्र ने 21 फरवरी, 2020 को उदयपुर में "भारतीय नियामक मंच के अध्यक्षों के लिए संगोष्ठी" आयोजित की है। इस पैनल चर्चा का विषय 'नियामक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना' था। इस पैनल में आईबीबीआई, एईआरए और सीईआरसी के विभिन्न नियामक निकायों के अध्यक्ष शामिल थे।

*****